राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3789/2025

डॉ. गोविन्द छींपा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. प्राचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय चिकित्सा कॉलेज, नागौर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, नोखा, जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2025
आदेश की दिनांक : 09.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, नोखा, जिला बीकानेर हाल ही आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 03.09.2013 के द्वारा हुई थी और आदेश दिनांक 24.12.2014 के द्वारा उसे स्थायी किया गया। अपीलार्थी दिनांक

30.06.2019 से 30.12.2019 तक अध्ययन अवकाश पर था और तत्पश्चात् कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 16.08.2023 के द्वारा जिला चिकित्सालय, नोखा पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को सीनियर रेजीडेंट कोर्स हेतु उसे कार्यमुक्त किया गया। उक्त कोर्स पूर्ण करने पश्चात् अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उनका तर्क है कि इस प्रकार आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है, जारी किया गया आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि आलोच्य आदेश नियमानुसार जारी किये गये हैं। आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और उसे जिला चिकित्सालय, नोखा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 15.07.2024 से 14.07.2025 तक सीनियर रेजीडेंट कोर्स पूर्ण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के अंतर्गत निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय जिला चिकित्सालय, नोखा, जिला बीकानेर हाल ही आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 03.09.2013 के द्वारा हुई थी

और आदेश दिनांक 24.12.2014 के द्वारा उसे स्थायी किया गया। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2019 से 30.12.2019 तक अध्ययन अवकाश पर था और तत्पश्चात् कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 16.08.2023 के द्वारा जिला चिकित्सालय, नोखा पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को सीनियर रेजीडेंट कोर्स हेतु उसे कार्यमुक्त किया गया। उक्त कोर्स पूर्ण करने पश्चात् अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी ने दिनांक 15.07.2024 से 14.07.2025 तक सीनियर रेजीडेंट कोर्स पूर्ण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के अंतर्गत निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार हम अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2025 में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य